UPBN240034932023

Warrant or Summons Criminal Case/1689/2023 (Delivered on 08-06-2026)

Presented on : 25-10-2023
Registered on : 25-10-2023
Decided on : 08-06-2026
Duration : 2 years, 7 months, 14 days

न्यायालयःःन्यायिक मजिस्ट्रेट, सहसवान, जनपद-बदायूँ।

पीठासीन अधिकारीःःहरेन्द्र सिंह,(उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा),(J.O.Code.3676)

आपराधिक वाद संख्याःः1689/2023

उत्तर प्रदेश राज्य

..अभियोजन

1- फरमान पुत्र जमालुद्दीन,
2- बासिल पुत्र रियाज,
3- फिरोज पुत्र नुरूद्दीन,
4- रियाज उर्फ रजीउद्दीन पुत्र मैनुद्दीन,
निवासीगण ग्राम-नदायल, थाना-सहसवान, जिला-बदायूँ।

..अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या-401/2023
अंतर्गत धारा-323,504,506 भारतीय दण्ड संहिता।
अंतर्गत क्षेत्र थाना-सहसवान, जनपद-बदायूँ।

सहायक अभियोजन अधिकारी-श्री प्रदीप कुमार सिंघल
अभियुक्तगण विद्वान अधिवक्ताः श्री सतीश यादव एडवोकेट

निर्णय

1- प्रस्तुत वाद में थाना पुलिस सहसवान जिला बदायूँ द्वारा **मुकदमा अपराध संख्या-401/2023 में** अभियुक्तगण **फरमान पुत्र जमालुद्दीन, बासिल पुत्र रियाज, फिरोज पुत्र नुरूद्दीन, रियाज उर्फ रजीउद्दीन पुत्र मैनुद्दीन** के विरूद्ध **धारा-323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता** अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 इस आशय की दी गयी है कि प्रार्थी अली अहमद पुत्र इमदाद अली, निवासी ग्राम नदायल थाना सहसवान जिला बदायूँ का रहने वाला है।

घटना दिनांक 25.07.2023 समय शाम करीब 5 बजे की है। प्रार्थी अपने घर के दरवाजे पर अपनी बाइक को धो रहा था। तभी गांव के ही कुछ दबंग किस्म के लोग फरमान पुत्र जमालुद्दीन, वासिल पुत्र रियाज, फिरोज पुत्र नुरूद्दीन व रियाज पुत्र मैनुउद्दीन निवासीगण ग्राम नदायल थाना सहसवान प्रार्थी को मोटर साईकिल धोने का विरोध करते हुए गंदी-गंदी मां बहिन की गालियां देने लगे। गालियां देने को मना करने पर उक्त मुल्जतमानों ने प्रार्थी को लात-घूसों व डण्डों से मारना पीटना शुरू कर दिया। प्रार्थी उक्त मुल्जिमानों से बचता बचाता हुआ भागा। तो उक्त मुल्जिमान भी लाठी-डण्डे लेकर प्रार्थी के घर के अंदर गालियां देते हुए घुस आये और प्रार्थी को लात-घूसों व डण्डों व लोहे की राड से घर के अंदर ही मारने पीटने लगे। प्रार्थी के पुत्र रजा ने प्रार्थी को बचाने का प्रयास किया तो उक्त मुल्जिमानों ने रजा को भी गंदी गंदी गालयां दी और घर के अंदर ही लात-घूसों व डण्डों से मारापीटा। चीख पुकार पर आसपास के लोग दौड़े और प्रार्थी तथा प्रार्थी के पुत्र रजा को बचाया। उक्त घटना देखी और उक्त मुल्जिमानों को ललकारा। उक्त मुल्जिमान प्रार्थी और प्रार्थी के पुत्र रजा को आइंदा मिलने पर जान से मारने की धमकी देते हुए चले

गये। उक्त मुल्जिमानों से प्रार्थी तथा प्रार्थी के परिवार को जान माल का खतरा बना हुआ है। प्रार्थी के सिर में खुली व शरीर में जगह-जगह चोटें आई हैं। अतः प्रार्थी रिपोर्ट लिखाने थाने आया है। रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3- वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या-401/2023 पंजीकृत हुई। विवेचक द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गयी, विवेचना में घटनास्थल का नक्शानजरी बनाया गया एवं वादी, चुटैल व गवाहान के बयानात अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये जाने, चिकित्सीय आख्या प्राप्त होने के उपरान्त विवेचना संबंधी समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर विवेचक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-401/2023 में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा-323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4- अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये। उन्होंने अपनी जमानतें कराईं। अभियुक्तगण को धारा-207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियेजन प्रपत्रों की नकलें दिये जाने के पश्चात् न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा-323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

5- अभियोजन की ओर से **साक्षीगण अली अहमद पुत्र इमदाद अली को पी०डब्ल्यू०-1 के रूप में, मो० रजा पुत्र अली अहमद को पी०डब्ल्यू०-2 के रूप में एवं दानिश अली पुत्र अली अहमद को पी०डब्ल्यू०-3 के रूप में** परीक्षित कराया गया है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों के औपचारिक निष्पादन को स्वीकार किया गया। जिसके आधार पर अभियोजन की ओर से अन्य किसी साक्षी को पेश नहीं किया गया।

6- अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दंण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। जिसमें उन्होंने अभियोजन घटना को झूंठा बताया तथा सफाई साक्ष्य दिये जाने से इंकार किया।

7- अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अभियोजन अधिकारी के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया।

8- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि यद्यपि अभियोजन साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

9- विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियोजन की ओर से मात्र **तीन** साक्षी को परीक्षित कराया है एवं अभियोजन के केस को साबित करने के लिये साक्षियों की संख्या नहीं देखी जानी चाहिए, बल्कि परीक्षित साक्षी की साक्ष्य की गुणवत्ता को देखा जाना चाहिए। वर्तमान परिवेष में पीड़ित पक्ष ही अपना पक्ष रखने का साहस कर पाता है। ऐसी स्थिति में यदि एक ही साक्षी अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये पर्याप्त है तो अन्य साक्षियों को परीक्षित कराने से मात्र तथ्यों का दोहराव ही होगा।

10- पी०डब्ल्यू०-1 साक्षी अली अहमद पुत्र इमदाद अली ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि दिनांक 25.07.2023 को शाम के समय जब मैं अपनी बाईक धो रहा था तभी वहां मुल्जिमान फरमान, वासिल, फिरोज तथा रियाजउद्दीन ने मेरे साथ गाली-गलौच की। मना करने पर मेरे साथ मारपीट की। शोर शराबा होने पर आस-पास के लोगों ने आकर बीच-बचाव कराया। मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गये। घटना के सम्बन्ध में मैंने थाने पर रिपोर्ट लिखा दी थी। तहरीर कागज संख्या-4क/3 पत्रावली पर संलग्न है। जिस पर अपने निशानी अंगूठा तस्दीक करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया।

प्रतिपरीक्षाः- उपरोक्त सभी मुल्जिमान हमारे पड़ोस के ही है। बाईक धोने को लेकर इनसे केवल कहासुनी हुई थी। शोर शराबा होने पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी थी। भीड़ में धक्का-मुक्की होने के कारण मुझे कुछ चोटें आ गयी थीं। जिसका मेडीकल सी०एच०सी० सहसवान में कराया था। उपरोक्त मुल्जिमान ने मेरे साथ मारपीट या गाली गलौच नहीं किया था, न ही जान से मारने की धमकी दी थी।

11- साक्षी से विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह की गयी। दौरान जिरह साक्षी द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा-161 दण्ड प्रक्रिया संहिता से इंकार किया गया है।

12- **पी०डब्ल्यू०-2 साक्षी मो० रजा पुत्र अली अहमद** ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि अब से करीब 2 साल पहले जब मैं अपने घर पर था तभी शोर शराबे की आवाज सुनाई दी। शोर सुनकर मैं बाहर गया तो देखा मेरे पिता अली अहमद के साथ मुल्जिमान फरमान, वासिल, फिरोज तथा रियाज उर्फ रजीउद्दीन की कहासुनी हो रही थी। मेरे सामने उपरोक्त मुल्जिमान ने अली अहमद के साथ कोई मारपीट या गाली-गलौच नहीं किया था। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

13- साक्षी से विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह की गयी। दौरान जिरह साक्षी द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा-161 दण्ड प्रक्रिया संहिता से इंकार किया गया है।

14- **पी०डब्ल्यू०-3 साक्षी दानिश अली पुत्र अली अहमद** ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि मेरे पिता अली अहमद के साथ मुल्जिमान फरमान, वासिल, फिरोज तथा रियाज उर्फ रियाजुद्दीन की बाईक धोने को लेकर कुछ कहासुनी हो गई थी। शोर शराबा सुनकर हम लोगों ने जाकर बीच-बचाव करा दिया था। उपरोक्त मुल्जिमान ने मेरे या मेरे पिता के साथ कोई मारपीट या गाली-गलौच नहीं किया था। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

15- साक्षी से विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह की गयी। दौरान जिरह साक्षी द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा-161 दण्ड प्रक्रिया संहिता से इंकार किया गया है।

निष्कर्ष

16- प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी **पी०डब्ल्यू०-1 अली अहमद पुत्र इमदाद अली** जो कि वादी मुकदमा तथा जिसके साथ सम्पूर्ण घटनाक्रम घटित हुआ है; के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का अंशतः समर्थन किया गया है, परन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में अपनी मुख्य परीक्षा के बिल्कुल विपरीतार्थक कथन किया गया हैं तथा परीक्षित साक्षीगण **पी०डब्ल्यू०-2 मो० रजा पुत्र अली अहमद व पी०डब्ल्यू०-3 दानिश अली पुत्र अली अहमद** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं किया गया है। अतः इन साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन घटना साबित नहीं होती है।

17- अतः उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण के आलोक में न्यायालय के मत में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित करने की घटना साबित नहीं होती है।

18- The burden of proof is defined under Section 101 of the Indian Evidence Act:- "Anyone who wants a court to rule on a legal right or responsibility based on facts he claims must first show that such facts exist. The second Section of the statute specifies that when a person is required to show the existence of a fact, that person shall also bear the burden of proof. As a result, a person seeking a favourable decision from the court must provide evidence in support of his case, according to this clause. The usual rule is that the party that asserts a truth bears the burden of proof, not the side that denies it.

19- In criminal trials, the prosecution bears the duty of establishing the defendant's guilt, and they must do it beyond a reasonable doubt. The plaintiff has the burden of proving his case by a majority of the evidence in civil cases. If the prosecution fails to prove the accused's guilt beyond a reasonable doubt, the accused is entitled to an acquittal.

20- यद्यपि अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणिकता को स्वीकार किया गया है, परंतु मात्र अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणिकता स्वीकार किये जाने मात्र से अभियोजन कथानक को अन्यथा साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नहीं माना जा सकता है।

21- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी सुप्रसिद्ध विधिव्यवस्था **Nallapati Sivaiah V. Sub Divisional Officer, Guntur AIR.2008 SC 19."**

"The onus and duty to prove the case against the accused was upon the prosecution and the prosecution must establish the charge beyond reasonable doubt. It is also a cardinal principle of criminal jurisprudence that

if there is a reasonable doubt with regard to the guilt of the accused is entitled to benefit of doubt resulting in acquittal of the accused.

22- उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस मत का है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है और अभियुक्तगण लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या-401/2023 में अभियुक्तगण **फरमान पुत्र जमालुद्दीन, बासिल पुत्र रियाज, फिरोज पुत्र नुरूद्दीन, रियाज उर्फ रजीउद्दीन पुत्र मैनुद्दीन** को **धारा-323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं, उनके जमानतनामें व बंध पत्र निरस्त किये जाते हैं, जामिनदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

प्रत्येक अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437-ए-(1) दंण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अंकन 25,000/- रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करें, जो आगामी छह माह तक प्रभावी रहेगें।

दिनांक:08-06-2026

(हरेन्द्र सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहसवान, जनपद-बदायूँ।
(J.O.CODE. UP3676)

24- उपर्युक्त निर्णय, आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक:08-06-2026

(हरेन्द्र सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहसवान, जनपद-बदायूँ।
(J.O.CODE. UP3676)

Transcribed on :A.Ali.